

आदेश - पत्रक

संयुक्त 11-फारम नं० 562

(इसे अभिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक नं० से 357
 जिला से दा० खा० वाडस०
5

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और पर्याप्तकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>श्री <u>आशुषी राय</u> <u>दा० खा० खा० खा० मठवा</u> गलद w/o ग्राम <u>खामपुर</u> थाना <u>बहापुरपुर</u> जिला <u>उदा</u> फां थाला नं० <u>1904</u> दिनांक <u>23/3/12</u></p> <p>जो आधार पर निम्नलिखित कारणों पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <p>पिता का नाम <u>खामपुर</u> लैजी नं० <u>20-6</u> माता नं० <u>280</u> छसरा <u>580</u> एराजी <u>580</u> <u>(उत्तरिण)</u></p> <p>मूल आवेदन पत्र हेतु कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। महाल पर सुनना जारी कर आपत्ति की मांग कर। अभिलेख दिनांक <u>21/5/13</u> को उपस्थित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी <u>MS</u> अंचल अधिकारी</p> <p>महाल पर नामला नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा को आधार पर दाखिल खारिज किया जाता है शर्त पर कि वे अंचल अधिकारी <u>MS</u> अंचल अधिकारी</p>	